न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/115

उनवान

1. रामनाथ पुत्र मांगीलाल जाति मीणा
2. सीताराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा
3. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम मियाना तहसील पीपल्दा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर
2. रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर
3. गीताबाई पुत्री मोतीलाल जाति गुर्जर
4. रामसरीबाई पुत्री मोतीलाल जाति गुर्जर
5. रिंकू कुमार पुत्र हरिमोहन जाति गुर्जर
6. विक्रम सिह पुत्र हरिमोहन जाति गुर्जर
7. पूजा गोचर पुत्री हरिमोहन जाति गुर्जर
8. राममूर्ति पत्नि स्व0 हरिमोहन जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम निमोला तह. पीपल्दा, जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री धनश्याम नागर (प्राथीगण
अभिभाषक श्री महेश शर्मा (अप्राथीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन अधिनियम बाबत आंवटन को

निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांकः– 20/2/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम मियाना तहसील पीपल्दा के स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा मोती आत्मज पांचू जी को ग्राम मियाना स्थित खसरा नम्बर 863/344 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा आराजी का नियमन/आंवटन का

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

प्रस्ताव पारित किया गया जिसके संबध में दिनांक 27.12.1969 को रजिस्टर नम्बर 11 से चम्बल सिंचाई परियोजना सहकारी भूमि आंवटन के अन्तर्गत आंवटन का प्रस्ताव दिनांक 9.4.1970 को परगना अधिकारी कोटा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु स्वीकृति के बाद अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया और ना ही कोई राशि जमा की गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण के दादा एवं पिता का उक्त आराजी पर क़ब्जा काश्त नही रहा है। हमेशा से ही प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल आत्मज गोविन्दा जाति मीणा का कब्जा काश्त चला आ रहा है और मांगीलाल जी स्वर्गवास बाद प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु उक्त आराजी सहवन से अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है जिसका अप्रार्थीगण दुरूपयोग करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है। ग्राम मियाना में स्थित पुराने खसरा नम्बर 863/344 रकबा 5 बीधा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 981/344 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 447 रकबा 2.24 है0 को गलत तरीके से अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही है। हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा पैमाईश करवाने पर हल्का पटवारी मियाना द्वारा कायम की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 447 आराजी पर लगभग 60–70 वर्षो से कब्जा क़ाश्त करता चला आ रहा है इस कारण प्रार्थीगण के नाम आवंटन करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नही की है ओर ना कभी कब्जा काश्त रहा है ओर ना कोई राशि जमा करवाई गई है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम मियाना तहसील पीपल्दा की आराजी खसरा न. 863/344 रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 447 रकबा 2.24 है. का मोती पुत्र पांचू गुर्जर के नाम किया गया आंवटन निरस्त कर प्रार्थीगण के नाम आंवटन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। अप्राथीगण की ओर से श्री महेश शर्मा अभिभाषक द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा मोती आत्मज पांचू ग्राम मियाना स्थित खसरा नम्बर 863/344 रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा आराजी का नियमन/आंवटन का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके संबध में दिनांक 27.12.1969 को रजिस्टर न. 11 से चम्बल सिचाई परियोजना सहकारी भूमि आंवटन के अन्तर्गत आंवटन का प्रस्ताव दिनांक 9.4.1970 को परगना अधिकारी कोटा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ओर नियमानुसार उक्त भूमि पर कब्जा संभलाया गया तथा रसीद नं. 86 दिनांक 27.12. 1969 को 120/–रू0 रसीद न.90 दिनांक 27.12.2969 को 75/रू0 रसीद नं. 57 से दिनांक 7.10.1970 को 72 रू0 रसीद न. 77 दिनांक 20.8.1977 को 300/–रू0 रसीद 75 से दिनांक 23.11.1977 को 208/रू 50 पैसे की राशि शुल्क जमा कराया गया, अप्राथीगण के पिता एवं दादा मोती के पक्ष मे सनद ज़ारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा मोती आत्मज पांचू के गैर खातेदारी में दर्ज की गई। भू0प्रबन्धक विभाग के राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 निर्धारित फार्म सम्वत् 2041–60 से अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा मोती पुत्र पांचू का नाम गैरखातेदारी के रूप में दर्ज रेकार्ड है जबकि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) 1955 की शर्त 9 के अधीन खातेदारी दी गई उक्त खातेदारी पट्टे की कम संख्या 2565 ग्राम मियाना ख. न. 981/344 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा दिनांक 28.11.1978 है यह पट्टा प्रार्थीगण के पिता एवं दाता मोती पुत्र पांचू जाति गुर्जर के नाम जारी कर दिया गया। इस प्रकार

अति॰ जिला कलेक्टर
कोटा

आंवटित भूमि की सरकार द्वारा खातेदारी दी जा चुकी है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नही हुआ है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अप्राथीगण की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में प्रार्थीगण एवं सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा के विरूद्व धारा 88,89,92(ए)188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अर्न्तगत वाद प्रस्तुत कर दिया है जो जेरकार है।

अतःजवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है ग्राम मियाना में स्थित पुराने खसरा नम्बर 863/344 रकबा 5 बीधा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 981/344 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 447 रकबा 2.24 है0 को गलत तरीके से अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही है। हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा पैमाईश करवाने पर हल्का पटवारी मियाना द्वारा कायम की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 447 आराजी पर लगभग 60–70 वर्षो से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है इस कारण प्रार्थीगण के नाम आवंटन करनवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नही की है ओर ना कभी कब्जा काश्त रहा है ओर ना कोई राशि जमा करवाई गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम मियाना तहसील पीपल्दा की आराजी खसरा न. 863/344 रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 447 रकबा 2.24 है. का मोती पुत्र पांचू गुर्जर के नाम किया गया आंवटन निरस्त कर प्रार्थीगण के नाम आंवटन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के उक्त आराजी नियमानुसार किमतन आंवटन हुई है उक्त भूमि की राशि में नियमानुसार जमा करवा जा चुकी है उपनिवेशन विभाग द्वारा उक्त भूमि का पट्टा भी अप्रार्थीगण को जारी किया जा चुका है। उक्त आराज़ी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अप्राथीगण की ओर से विवादित आराजीयात् के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा मे भी एक वाद प्रस्तुत किया गया है जो जैरकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आंवटन अधिनियम के तहत ग्राम मियाना में स्थित पुराने खसरा नम्बर 863/344 रकबा 5 बीधा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 981/344 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 447 रकबा 2.24 है0 भूमि का अप्रार्थीगण को दादा व पिता मोती आ0पॉचू गुर्जर को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम, 1957 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत हुए आंवटन /नियमन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूकि अप्रार्थीगण के पिता एवं दादा को उक्त आराजी का आंवटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम, 1957 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत हुआ है ओर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी पर राजस्थान भू–राजस्व कृषि

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के प्रावधान लागू नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/2/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा
अति॰ जिला कलक्टर
कोटा